रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-119/2019/2780/22-2-2019-17(199)/1992

लखनऊ:दिनांक: 17 अक्टूबर, 2019

शुद्धि-पत्र

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के आदेश संख्या-116/2019/2208/22-2-2019-17(199)/1992 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 की क्रमश: दसवी एवं तेरहवी पंक्ति मे अंकित 'बुलन्दशहर' के स्थान पर 'मुजफ्फरनगर' तथा पृष्ठांकन के बिन्दु 02 एवं 03 में अंकित क्रमश: 'जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर' एवं 'वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर' के स्थान पर क्रमश: 'जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर' एवं ' वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर' पढ़ा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 30-09-2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-119/2019/2780/(1)/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
3- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर को शासन के उपर्युल्लिखित आदेश दिनांक 30.09.2019 की प्रति सहित।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को शासन के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 30.09.2019 की प्रति सहित।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in